(GCF-9, GCF-11, VCF-VDCF-SCF-3)

DATE: 02.03.2022 **MAXIMUM MARKS: 100** **TIMING: 3 Hours**

BUSINESS LAW & BUSINESS CORRESPONDENCE & REPORTING

Question No. 1 is Compulsory. Answer any four question from the remaining five questions. Wherever necessary, suitable assumptions should be made and disclosed by way of note forming part of the answer.
Working Notes should from part of the answer.

Answer 1:

(a) (i) यह एक निहित संविदा है और ए को उसके द्वारा वर्णित कुली की सेवाओं के लिए भुगतान करना होगा।
अंतर्निहित संविदा : निहित संविदा निहितार्थ से अस्तित्व में आते हैं। अक्सर निहितार्थ कानून और या कार्रवाई द्वारा होता है। अधिनियम की धारा 9 ऐसे निहित संविदों पर विचार करती है जब यह निर्धारित करती है कि जहॉ तक इस तरह के प्रस्ताव या स्वीकृति शब्दों के अलावा अन्यथा की जाती है, वादा निहित कहा जाता है। **{2 M}**

(ii) खोए हुए माल के खोजकर्ता को वास्तविक मालिक को वापस करने के लिए दायित्व को संविदा से उत्पन्न नहीं कहा जा सकता है, यहॉ तक कि इसके दूरस्थ अर्थ में भी नहीं है, क्योंकि न तो प्रस्ताव और स्वीकृति है और न ही सहमति है। इन्हें अर्ध–संविदा कहा जाता है।
अर्ध–संविदा : एक अर्ध–संविदा एक वास्तविक संविदा नहीं है, लेकिन यह एक संविदा जैसा दिखता है। यह कुछ परिस्थितियों में कानून द्वारा बनाया गया है। जब कोई वास्तविक संविदा मौजूद नहीं होता है तो कानून कानूनी अधिकारों और दायित्वों को बनाता है और लागू करता है। ऐसे दायित्वों को अर्ध–संविदा के रूप में जाना जाता है। दूसरे शब्दों में, यह एक संविदा है जिसमें संविदा करने के लिए किसी भी पक्ष की ओर से कोई इरादा नहीं है, लेकिन कानून पक्षकारों पर एक संविदा लागू करता है। **{2 M}**

(iii) ऊपर के संविदा एक शून्य संविदा है।
शून्य संविदा : धारा 2 (जे) में निम्नानुसार कहा गया है : "एक संविदा जो कानून द्वारा लागू होने योग्य नहीं रह जाता है, जब वह लागू होना बंद हो जाता है तो वह शून्य हो जाता है।" इस प्रकार, एक शून्य संविदा वह है जिसे कानून की अदालत द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। **{2 M}**

Answer:

(b) (a) यह एक वैध स्पष्ट संविदा है।
(b) यह एक संविदा नहीं है क्योंकि यह एक सामाजिक समझौता है।
(c) यह एक अंतर्निहित संविदा है। A बस के किराए का भुगतान करने के लिए बाध्य है।
(d) यह एक कानूनी संबंध बनाने के इरादे के बिना एक सामाजिक समझौता है।
{$1^{1/2}$ M Each Points}

Answer 2:

(a) **केवल मौन कपट के समान नहीं है :** किसी व्यक्ति की संविदा में प्रवेश करने की इच्छा को प्रभावित करने वाले तथ्यों के बारे में केवल मौन कपट नहीं है, लेकिन जहॉ बोलना किसी व्यक्ति का कर्तव्य है, या उसकी चुप्पी भाषण के बराबर है, मौन कपट के बराबर है। यह कानून का एक नियम है कि केवल मौन रहने से कपट नहीं होती है। एक संविदा करने वाला पक्ष दूसरे पक्ष को पूरी सच्चाई का खुलासा करने या संविदा की विषय वस्तु को प्रभावित करने वाली पूरी जानकारी देने के लिए बाध्य नहीं है। नियम भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 17 के स्पष्टीकरण में निहित है जो स्पष्ट रूप से स्थिति बताता है कि किसी व्यक्ति की संविदा में प्रवेश करने की इच्छा को प्रभावित करने वाले तथ्यों के बारे मे केवल मौन कपट नहीं है। **{3 M}**

इस नियम के अपवादः

(i) जहॉ मामले की परिस्थितियॉ ऐसी हों कि उन्हें ध्यान में रखते हुए, चुप रहने वाले व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह बोलें। बोलने का कर्तव्य तब उत्पन्न होता है जब एक संविदा करने वाला पक्ष **{2 M}**

दूसरे पर विश्वास और विश्वास रखता है या जहॉ एक पक्ष को दूसरे की अच्छी समझ (जैसे बीमा संविदा) पर निर्भर होना पड़ता है।

(ii) मौन अपने आप में, भाषण के बराबर है। **}{1 M}**

Answer:

(b) भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 42 के अनुसार जब दो या अधिक व्यक्तियों ने संयुक्त वचन दिया हो तो अनुबंध से विपरीत आशय प्रकट न होने पर, वचनदाताओं को संयुक्त रूप से अनुबंध का निष्पादन करना चाहिए। उनमें से किसी भी मृत्यु होने पर उसके उत्तराधिकारी, जीवित वचनदाताओं के साथ संयुक्त रूप से अनुबंध का निष्पादन करेंगे। सभी वचनदाताओं की मृत्यु होने की दशा में उन सभी के उत्तराधिकारी मिलकर अनुबंध का निष्पादन करेंगे।
धारा 43 के अनुसार वचनग्रहीता किसी भी संयुक्त वचनदाता से अनुबंध का निष्पादन करा सकता है। इस प्रकार से संयुक्त वचनदाता का दायित्व केवल संयुक्त ही नहीं, बल्कि संयुक्त एवं पृथक भी होता है। धारा 43 के अनुसार अनुबंध से विपरीत आशय प्रकट न होने पर वचनग्रहीता इनमें से किसी एक अथवा अधिक संयुक्त वचनदाताओं को निष्पादन करने के लिए बाध्य कर सकता है।
धारा 43 संयुक्त वचनदाताओं की दशा में अंशदान के विषय में वर्णन करती है। वचनग्रहीता प्रत्येक वचनदाता को बराबर का अंशदान करने के लिए बाध्य कर सकते है (जब तक कि अनुबंध से इसका विपरीत आशय प्रकट न होता हो) यदि कोई भी संयुक्त वचनदाता अपना अंशदान देने में असमर्थ है तो बाकी के संयुक्त वचनदाता इस कमी को बराबर–बराबर अनुपात में पूरा करेंगें। **{3 M}**

उपर्युक्त धराओं के प्रावधानों कें अनुसारः

(1) Y, X व Z से अंशदान मांग सकता है, क्योंकि XYZ संयुक्त वचनदाता है। **}{1 M}**

(2) X के उत्तराधिकारी Y को अंशदान देने के लिए दायी है, लेकिन एक उत्तराधिकारी का दायित्व उसे उत्तराधिकार में मिलने वाली सम्पत्ति तक सीमित है। **{1 M}**

(3) Y व Z की सम्पत्ति में से अंशदान प्राप्त कर सकता है। **}{1 M}**

Answer 3:

(a) निम्नलिखित गर्भित आश्वासन होते हैं :–

1. **शान्तिपूर्ण कब्जे का आश्वासन :** एक गर्भित आश्वासन से तात्पर्य है कि क्रेता को शान्तिपूर्वक तरीके से वस्तु के प्रयोग करने का अधिकार होगा। अर्थात् यदि क्रेता ने माल को कब्जे में ले लिया है और बाद में इस अधिकार में बाधा डाली जाती है, तब उसे विक्रेता पर आश्वासन भंग करने के लिए वाद प्रस्तुत करने का अधिकार है जब तक कि अनुबन्ध की परिस्थितियों से किसी भिन्न अर्थ का पता न चलता हो। **{$1^{1/2}$ M}**

2. **भार मुक्त होने का आश्वासन :** एक गर्भित आश्वासन की वस्तुएँ किसी तीसरे पक्ष के प्रति जिसके विषय में क्रेता को अनुबन्ध के समय अथवा उससे पूर्व कोई सूचना नहीं दी गई थी अथवा उसे पता नहीं था, भार मुक्त होंगी।
उदाहरण : 'अ' ने 15,000 रू. के ऋण के लिए 'स' के पास अपनी कार को गिरवी रखा तथा उसको कार का अगले दिन कब्जा देने का वचन दिया। 'अ' ने, फिर तुरन्त ही कार को 'ब' को बेच दिया जिसने इस तथ्य को जाने बिना, सद्भावना में कार को खरीद लिया। 'ब' या तो ऋण लौटाने के लिए 'अ' को कह सकता है या स्वयं पैसा चुका सकता है तथा फिर ब्याज के साथ रकम वापिसी के लिए 'अ' के विरूद्ध वाद दायर कर सकता है। **{$1^{1/2}$ M}**

3. **माल के खतरनाक होने के विषय में सूचना :** विक्रेता के द्वारा एक और गर्भित आश्वासन होता है कि यदि वस्तु मूल रूप से खतरनाक है अथवा क्रेता के लिए इसके खतरनाक होने की संभावना है और क्रेता उक्त खतरे के प्रति अनभिज्ञ है तब विक्रेता के लिए यह आवश्यक है कि वह क्रेता को सम्भावित खतरे के सम्बन्ध में चेतावनी दे। यदि इस आश्वासन को भंग किया जाता है तब विक्रेता हर्जाना देने के लिए उत्तरदायी होगा। **{$1^{1/2}$ M}**

4. **गुणवत्ता या उपयुक्तता के प्रति व्यापार के तौर–तरीके के द्वारा आश्वासन :** किसी उद्देश्य विशेष के लिए गुणवत्ता या उपयुक्तता के प्रति एक गर्भित आश्वासन व्यापार के तौर–तरीकों द्वारा जोड़ा जा सकता है।
उदाहरण : नीलामी द्वारा ड्रग्स बेचे गये तथा व्यापार की परम्परा के अनुसार अग्रिमतः यह बताना जरूरी था कि ड्रग्स की गुणवत्ता में उत्पन्न भारी कोई हानि हो सकती है। इसे आश्वासन भंग माना जायेगा यदि ऐसी कोई अभिव्यक्ति नहीं की जाती तथा माल को दोषपूर्ण पाया जाता है। **{$1^{1/2}$ M}**

Answer:

(b) यदि विक्रेता अनुबन्ध भंग करता है तो क्रेता को विक्रेता के विरूद्ध निम्न अधिकार मिल जाते हैं।

1. **सुपुर्दगी न देने के लिये हर्जाना –** जहाँ विक्रेता गलती से क्रेता को माल की सुपुर्दगी करने से मना करता है या लापरवाही दिखाता है तो क्रेता गैर–सुपुर्दगी के लिए हर्जाने हेतु विक्रेता पर वाद कर सकता है। **{1 M}**
2. **विशिष्ट निष्पति के लिए वाद –** जहाँ विक्रेता विक्रय के अनुबन्ध का विखण्डन करता है तो क्रेता विशिष्ट निष्पत्ति के लिए न्यायालय में अपील कर सकता है। न्यायालय विशिष्ट निष्पति के लिए आदेश दे सकता है केवल जब : **{$1^{1/2}$ M}**
   (a) माल निर्दिष्ट तथा विशिष्ट होता है
   (b) हर्जाने अपर्याप्त हो; या
   (c) माल अद्भुत तथा कीमती हो।
3. **आवश्वासन भंग के लिए वाद –** जहाँ विक्रेता की ओर से आश्वासन भंग हुआ है या जहाँ शर्त भंग को आश्वासन भंग के रूप में लेने का चयन करता है तो क्रेताऐसे आश्वासन भंग के आधार पर माल को अस्वीकार करने का अधिकार नहीं रखता। लेकिन वह – **{$1^{1/2}$ M}**
   (a) मूल्य को कम करने या संकुचित करने में आश्वासन भंग को विक्रेता के विरूद्ध खड़ा कर सकता है; या
   (b) आश्वासन भंग के लिए हर्जाने हेतु विक्रेता पर वाद कर सकता है।
4. देय तिथि से पूर्व विक्रेता द्वारा अनुबन्ध भंग के लिए हर्जाने हेतु वाद – क्रेता अनुबन्ध को जारी मानकर चल सकता है तथा सुपुर्दगी की तिथि की प्रतीक्षा कर सकता है या वह अनुबन्ध को भंग मानकर चल सकता है तथा माल हेतु हर्जाने के लिए वाद कर सकता है। **{1 M}**
5. **ब्याज हेतु वाद –** क्रेता चुकाई गई राशि को वसूल करने के लिए विशेष हर्जाने या ब्याज वसूल करने का अधिकार रखता है जहाँ भुगतान हेतु प्रतिफल असफल हो चुका है। **{1 M}**
   उदाहरण –
   a. सिगरेटों के विक्रय के मामले में, जो उपयोग के लिए अनुपयुक्त पाई जाती हैं अनुबन्ध मूल्य तथा रिलीज किये गये मूल्य के बीच अन्तर के आधार पर हर्जाने दिये गये।
   b. अधिकार के हस्तांतरण व पंजीकरण की अनुपस्थिति की दशा में, क्रेता शर्तो के भंग के लिए हर्जाना नहीं माँग सकता है तथा विक्रय के सम्बन्ध में आश्वासनों के विखण्डन हेतु क्षतिपूर्ति का दावा नही कर सकता है।

Answer 4:

(a) आन्तरिक प्रबन्ध सिद्धान्त की विवेचना रॉयल ब्रिटिश बैंक बनाम तारकुण्ड (1956) 6E एण्ड B 327 में किया गया था। इस मामले में भी आर.बी.बी. के निर्देशकों ने एक बॉण्ड दिया था। कम्पनी के अन्तर्नियमों के द्वारा निर्देशकों को उचित प्रस्ताव पारित करवा लेने के उपरान्त ही बॉण्ड जारी करने का अधिकार प्रदान किया था। उपरोक्त के होते ही यह निर्णय दिया गया कि बॉण्ड के लिए T दावा कर सकता है, क्योंकि उसे यह अधिकार प्राप्त है कि वह यह माने कि ऐसा प्रस्ताव पारित करवा लिया गया होगा। इस प्रकार वह व्यक्ति जो कम्पनी के साथ व्यवहार कर रहे हैं उन्हें यह मानने का अधिकार है कि निर्देशकों या उसके अधिकारी जो कृत्य कर रहे हैं वह वैधानिक रूप से किये जा रहे हैं यदि ऐसे कृत्य उनको प्रदत्त अधिकार क्षेत्र में आते हैं। पर यह सिद्धान्त वहाँ पर लागू नहीं होता है जहाँ पर जो व्यक्ति कम्पनी से व्यवहार कर रहा है **{3 M}**

अगर उसे यह सूचना थी कि कम्पनी में अनियमितता हो रही है या जहाँ पर वह व्यक्ति जो कम्पनी से व्यवहार कर रहा है उस पर कोई जाँच की जाती है या जब कोई प्रपत्र जिसे यह माना जाता है कि वह कम्पनी की ओर से जारी किया गया है या बनाया गया है वह कपटपूर्ण और जाली है तो उस व्यक्ति को इस सिद्धान्त का कोई लाभ नहीं मिलता है।

दी गई समस्या में आन्तरिक प्रबन्ध का सिद्धान्त लागू नहीं हो सकता है क्योंकि प्रपत्र कपटपूर्ण एवं जाली है। जो कि A को अधिकार नहीं देते हैं और इसी प्रकार B को भी अधिकार नहीं मिलते हैं। खरीदार का अधिकार बेचने वाले के अधिकार से अच्छा नहीं हो सकता है (माल बेचान अधिनियम 1930) इसलिए B अंशों को अपने नाम में पंजीकृत करवाने में समर्थ नहीं होगा। **{3 M}**

Answer:

(b) हां, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के प्रावधानों का पालन करते हुए कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत् एक गैर–लाभकारी संगठन को एक कंपनी के रूप में पंजीकृत किया जाना चाहिए। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 उन कंपनियों के गठन से संबंधित है, जिनका गठन किया गया है। **{1 M}**

- वाणिज्य, कला, विज्ञान, खेल, शिक्षा, अनुसंधान, समाज कल्याण, धर्म, दान, पर्यावरण संरक्षण आदि की धर्मार्थ वस्तुओं को बढ़ावा देना।
  ऐसी कंपनी अपने लाभ को लागू करन का इरादा रखती है।
- अपने सदस्यों को किसी भी लाभांश के भुगतान पर रोक लगाना।

{1 M Each}

केन्द्र सरकार के पास धारा 8 कंपनी को पंजीकृत करने के लिए लाइसेंस जारी करने की शक्ति है।

(i) धारा 8 केन्द्र सरकार को ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के संघ को सीमित देयता वाली कंपनी के रूप में पंजीकृत करने की अनुमति देती है, इसके नाम में 'लिमिटेड' या 'प्राइवेट लिमिटेड' शब्द जोड़े बिना, ऐसी शर्तो पर लाइसेंस जारी करके जो वह उचित समझे।

(ii) रजिस्ट्रार आवेदन पर ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के संघ को इस धारा के तहत् एक कंपनी के रूप में पंजीकृत करेगा।

(iii) पंजीकरण पर कंपनी को एक लिमिटेड कंपनी के समान विशेषाधिकार और दायित्व प्राप्त होंगे।

{1 M Each}

Answer 5:

(a) निम्न कम्पनियों पर कम्पनी अधिनियम 2013 के प्रावधान लागू होते हैः

- इस अधिनियम या पूर्व कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत बनी कम्पनी। **}{1 M}**
- बीमा कम्पनी (अपवादः जब प्रावधान, बीमा अधिनियम व आई.आर.डी.ए अधिनियम के विरूद्ध है।) **}{1 M}**
- बैंकिग कम्पनी (अपवादः जब प्रावधान Banking Regulation Act के विरूद्ध हों।) **}{1 M}**
- बिजली कम्पनी (अपवादः जब प्रावधान Electricity Act के विरूद्ध हों।) **}{1 M}**
- विशिष्ठ अधिनियम के द्वारा संचालित कम्पनी। **}{1 M}**
- अन्य निगम निकाय, जिनका समामेलन किसी अधिनियम के अन्तर्गत हुआ हो और केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचना जारी की गई हों। **}{1 M}**

Answer:

(b) **परिस्थितियॉं जिनमें एलएलपी को प्राधिकरण द्वारा समाप्त किया जा सकता है (धारा 64)** : एक एलएलपी प्राधिकरण के द्वारा समाप्त की जा सकती हैः

(a) यदि एलएलपी निर्णय करती है कि एलएलपी प्राधिकरण द्वारा समाप्त हो,

(b) यदि छह महीने से अधिक समय के लिए एलएलपी के भागीदारों की संख्या कम होकर दो से नीचे हो गई हो,

(c) यदि एलएलपी ऋण चुकाने में अक्षम हो,

(d) यदि एलएलपी ने भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था के हितों के खिलाफ काम किया है,

{1 M Each}

(e) यदि एलएलपी ने लगातार पांच वित्तीय वर्षो के लिए रजिस्ट्रार के पास खाता और शोधन क्षमता या वार्षिक रिटर्न का विवरण दाखिल करने में चूक की है, या

(f) यदि प्राधिकरण की राय में एलएलपी को समाप्त करना उचित और न्यायोचित है।

Answer 6:

(a) साझेदारों के दायित्वः– (धारा 9, 10)

(1) **साझेदारों के सामान्य कर्त्तव्य :–** साझेदारों के लिये यह आवश्यक है कि वह फर्म के व्यापार को (i) अधिकार सामान्य लाभ। (ii) एक दूसरे के प्रति न्यायपूर्ण तथा विश्वासपात्र रहकर। (iii) किसी साझेदार अथवा उसके प्रतिनिधि को सही हिसाब–किताब तथा फर्म के कार्य को प्रभावित करने वाले सही तथ्यों की सूचना देकर, चलाये। **{1 M}**

(2) **कपट या जानबूझकर लापरवाही के लिए क्षतिपूर्ति :–** यदि कोई साझेदार फर्म के व्यापार में कोई कपटपूर्ण कार्य या जानबूझकर लापरवाही करता है, तो इससे होने वाली हानि के लिए वह अन्य साझेदारों के प्रति क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी होता है। **{1 M}**

(3) **बिना पारिश्रमिक के विवेकपूर्वक कर्त्तव्यों का निर्वाह करना :–**

- प्रत्येक साझेदार के लिये यह आवश्यक है कि वह फर्म के व्यापार से सम्बन्ध अपने कर्त्तव्यों का निर्वाह परिश्रमपूर्वक करें।
- उसका कर्त्तव्य है कि वह अन्य साझेदारों को अपने ज्ञान और योग्यता का लाभ उठाने का अवसर दें।

{1 M}

(4) **हानियों को सांझा करना :–** सभी साझेदारों के लिए यह आवश्यक है कि वह फर्म के द्वारा उठाई गई हानि का बंटवारा समान रूप से करें। **{1 M}**

(5) **किन्हीं लाभों का हिसाब देना :–** यदि कोई साझेदार फर्म के लिये किये गये किसी लेनदेन में से। **{1 M}**

अथवा

फर्म की अथवा फर्म के व्यापारिक सम्बन्धों से अथवा उसके नाम से अपने लिये कोई गुप्त लाभ अर्जित करता है, तो उसके लिए यह आवश्यक है कि वह उक्त प्राप्त हुए लाभ का हिसाब प्रस्तुत करे और उसका भुगतान फर्म को करें।

(6) प्रतिस्पर्द्धी व्यवसाय के लाभों के लिए हिसाब देना तथा **भुगतान करना :–** यदि एक साझेदार फर्म जैसा ही या उसका प्रतियोगी व्यापार करता है, तब उसे फर्म को उक्त व्यापार के समस्त लाभों का हिसाब प्रस्तुत करना चाहिये और उसे देना चाहिये फर्म किसी भी हानि के प्रति उत्तरदायी नहीं होगी। **{1 M}**

Answer:

(b) साझेदार का दिवालियापन (Insolvency of a partner) :–

- दिवालिया साझेदार को एक साझेदार के रूप में चलाये नहीं रखा जा सकता है।
- वह ठीक उसी तिथि से साझेदार नहीं रहेगा जब दिवालिया आदेश दिया जाता है।
- दिवालिया साझेदार की सम्पत्तियां उसके दिवालिया आदेश की तिथि के बाद किये गये फर्म के कार्यों के लिए दायी नहीं होती।
- फर्म भी दिवालिया आदेश की तिथि के बाद दिवालिया साझेदार के किसी भी कार्य के लिए दायी नहीं होती।
- साधारणतः, लेकिन अकाट्यतः नहीं, एक साझेदार का दिवालिया होना फर्म को समापन की ओर ले जायेगा, लेकिन साझेदार ऐसा ठहराव करने के लिए पूरी तरह से सक्षम है, कि एक साझेदार के दिवालिया हो जाने से फर्म का समापन उत्पन्न नहीं होने देंगे।

{3 M}

साझेदार की मृत्यु (Death of a Partner) :–

- मृतक साझेदार की सम्पत्ति उसकी मृत्यु के पश्चात् फर्म के किसी कार्य के लिये उत्तरदायी नहीं होगी।
- जनता को अथवा फर्म के साथ व्यवहार रखने वाले व्यक्ति को इस आशय का नोटिस जारी किया जाये यह आवश्यक नहीं है।

{3 M}

—**—

PAPER : BUSINESS CORRESPONDENCE & REPORTING

The Question Paper comprises of 5 questions of 10 marks each.
Question No. 7 is compulsory. Out of questions 8 to 11, attempt any three.

SECTION-B : BUSINESS CORRESPONDENCE & REPORTING (40 MARKS)

Answer 7:

(a) **Answer Sheet**

1.	2.	3.	4.	5
(D)	**(B)**	**(C)**	**(A)**	**(D)**

{1 M Each}

Answer:

(b) **(i)** **Recycling**

1. **Meaning**
   - 1.1 Prcs. of reusing
   - 1.2 Imp. to recycle
     - 1.2.1 to save natural resources
2. **Waste recycling**
   - 2.1 Help to save energy
   - 2.2 Reduce pllutn.
   - 2.3 Imp for envt. & humans
3. **Plastic Material**
   - 3.1 Reduce Pollution
     - 3.1.1 Water Pollution
     - 3.1.2 Air Pollution
   - 3.2 Imp to have waste disposal system

{2 M}

Key Note –

1.	Prcs	-	Process
2.	Imp	-	Important
3.	Envt	-	Environment
4.	&	-	And
5.	Sysm	-	System

{1 M}

(ii) **Summary :**

Recycling is regarded as the process of reusing the items which are generally regarded as waste but are of great utility. It ensures the conservation of natural resources for future generation along with saving energy. Recycling of plastic material also helps in reducing air and water pollution. In short, we can say that recycling is the best way to have ecofriendly environment. **{2 M}**

Answer 8:

(a) **Physical non-verbal communication: An individual's body language that is,** facial expressions, stances, gestures, touches and other physical signals constitute this type of communication. For example, leaning forward may mean friendliness, acceptance and interest, while crossing arms can be interpreted as antagonistic or defensive posture. **{1 M}**

Research estimates show that physical, non-verbal communication accounts for 55 percent of all communication. Smiles, frowns, pursing of lips, clenching of wrists etc. transmit emotions which are not expressed through verbal communication. **{1 M}**

Answer:

(b) (i) Rohit wrote a story on the wall.
(ii) Ravi Sang a Song.
(iii) What did you eat for breakfast?
{1 M Each}

Answer:

(c) **Language Endangerment: An Alarming Situation** **{1 M}**

Language endangerment is an alarming situation worldwide. Language teachers should be well trained linguistically and language documentation should be **{2 M}** encouraged by state authorities. Similarly, linguists, language activists, and language policy makers have a long-term task to compile and disseminate the most effective and viable mechanisms for sustaining and revitalizing the endangered languages. **{2 M}**

Answer 9:

(a) Non-verbal communications such as body language and visual cues affect the quality of interaction among individuals or group. An individual's facial expressions, stances, gestures, touches, and other physical signals constitute body language of **{1 M}** communication. For example, leaning forward may mean friendliness, acceptance and interest, while crossing arms can be interpreted as antagonistic or defensive posture. **{1 M}**

Answer:

(b) **(i)** Glittering
(ii) Inconstancy
(iii) Varun said that Every Kid should learn coding.
{1 M Each}

Answer:

(c) XYZ Electronics New Delhi.

Date: 20th Dec, 2018

Manager, Customer Care XYZ Electronics

New Delhi.

Dear Sir/Ma'am

Sub: Complaint regarding the printer model CanXR 0987, Invoice No: Prin/CanXR/6 - 12- 2018. **{1 M}**

This is regarding the printer that I bought on Dec 6, 2018. After installation, it worked fine for a few days. But lately every time a print command is given, it paper gets stuck and the scanning/photocopying option is not working at all. Please send your executive to examine the problem and rectify it at the earliest or get it replaced. I had bought the equipment to take print-outs at home for an urgent project work submission. **{2 M}**

I request you to look into the problem urgently and send the expert tomorrow evening by 7PM. You can send the name and mobile number of the executive at my number XXXXXXXXXX. Looking forward to a prompt response. **{1 M}**

(Signed)
ABC **{1 M}**

Answer 10:

(a) Vertical Network and Wheel & Spoke Network

Vertical Network	Wheel and Spoke Network
A formal network. It is usually between a higher ranking employee and a subordinate.	A network with a single controlling authority who gives instructions and orders to all employees working under him/her.
A two way communication happens	Two way communication happens but useful only in small organizations.

{$1^{1/2}$ M} {$1^{1/2}$ M}

Answer:

(b) Passive to Active

(1) The school authorities had to declare the results
(2) You must complete the test in one hour.

{Each 1 M}

Answer:

(c) Hints:

- Causes of health issues: a crisp list
- Office work
- Lifestyle
- Eating habits
- Growing economy
- Money splurge
- Effects: direct effects
- Diseases
- Physical health issues
- Strain on eyes
- Young deaths

(Any ten points Each 1/2 M)

Answer 11:

(a) Formal communication: Formal Communication, both oral and written, follows certain rules, principles and conventions in conveying the message,. The hierarchy in the organization has to be followed. Formal format, style and language have to be used. The communication pattern can be vertical, horizontal or diagonal. **{2 M}**

OR

Encoding is the process of turning thoughts into communication. The encoder uses a 'medium' to send the message – a phone call, email, text message, face-to-face meeting, or other communication tool. The level of conscious thought that goes into encoding messages may vary. **{2 M}**

Answer:

(b) **(i)** Brief

(ii) Mysterious

(iii) The angry mother jeered to her son if he supposed that he knew better than his own father.

{1 M Each}

Answer:

(c) Letter informing about the postponement of interview date

Sender's address

Date

Receiver's designation

Receiver's address

Subject – Letter regarding the postponement of interview date

{$2^{1/2}$ M}

Dear Mr Bansal

This letter is to inform you that the interview that was scheduled with Mr. Gupta, CEO, ABC Company, has been postponed. The interview was planned to take place on 1 Oct, 2020 but this has changed. The meeting has been postponed to 15 Oct, 2020. The venue and the timing of the interview meeting however remains the same.

It has been postponed due to some unavoidable circumstances. In case of any other queries, you can either revert to the same letter or drop in an e-mail on our official email id.

We apologies for the inconvenience caused.

Thank you

Yours sincerely
Name of Sender
Designation of Sender

{$2^{1/2}$ M}

__**__